कार्यालय अधीक्षण अभियंता

पत्र सं: - 3453/48एम0-शौकू वुल्ट/14

दिनांक: 23-7-14

कार्यालय - शाखा

इस कार्यालय के शाखा सं: 3142/48 एम-शौकू वुल्ट/14 दिनांक 07.07.2014 एवं 3254/48 एम-शौकू वुल्ट/14 दिनांक 11.07.2014 द्वारा इस के अधीन जनपद जालीन, शौकी एवं लशिपुर में भवन तथा मार्ग निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों एवं विभिन्न श्रेणियों के भ्रमिकों की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के लिए गठित होते हैं। कार्यालय संगठन 11.07.2014 व 22.07.2014 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारी नेत्रानुसार ग्राहक किया गया।

1. श्री प्रदीप एकल, अधीशासी अधिवक्ता, निर्माण खंड-3, लोनिफेक्ट्री, शौकी
2. श्री एकेंद्र जैन, अधीशासी अधिवक्ता, प्रांतीय खंड, लोनिफेक्ट्री, शौकी
3. श्री विभेदी मोहन, अधीशासी अधिवक्ता, प्रांतीय खंड, लोनिफेक्ट्री, शौकी
4. श्री रमबाबु राम, अधीशासी अधिवक्ता, निर्माण खंड (वृत्त, तथा) लोनिफेक्ट्री, शौकी
5. श्री आशक शरीफ, अधीशासी अधिवक्ता, प्रांतीय खंड, लोनिफेक्ट्री, लशिपुर
6. श्री महेंद्र उपाध्याय, सहायक अधिवक्ता, प्रांतीय खंड, लोनिफेक्ट्री, शौकी
7. श्री विकासनन्द इन्द्रियार, सहायक अधिवक्ता, निर्माण खंड-3, लोनिफेक्ट्री, शौकी
8. श्री अतुल कुमार गुप्ता, अद्वित अधिवक्ता, निर्माण खंड-3, लोनिफेक्ट्री, शौकी
9. श्री एकेंद्र कुमार, परियोजना प्रबंधक, उद्योग अधिकारी एवं विकास परिषद, निर्माण इंडस्ट्री, शौकी-1, लशिपुर योजना, शौकी
10. श्री एकेंद्र संभाला, सहायक अधिवक्ता, पंचायत मंडल, लशिपुर एवं सहायक उद्योग सप्तिक, शौकी
11. श्री एकेंद्र संभाला, सहायक अधिवक्ता, उद्योग अधिकारी एवं विकास परिषद, निर्माण इंडस्ट्री, शौकी-1, लशिपुर योजना, शौकी
12. श्री जीतेंद्र शरीफ, सहायक अधिवक्ता, उद्योग अधिकारी एवं विकास परिषद, निर्माण इंडस्ट्री, शौकी-1, लशिपुर योजना, शौकी

दूसरा बैठक में उपस्थित अधिवेशनों द्वारा दी गयी संस्थापन एवं समीक्षा के उपरन्तु भवन एवं मार्ग निर्माण कार्यों हेतु शौकी मंडल के जनपद जालीन, शौकी एवं लशिपुर में भवन तथा मार्ग निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों एवं विभिन्न श्रेणियों के भ्रमिकों से समन्वित चेयर-1(ब) एवं चेयर-2 की दरों संलग्न सूची के अनुसार पूर्व में इस कार्यालय के शाखा सं: 5188/48 एम-शौकू वुल्ट/12 दिनांक 09.01.2013 को अधिकृत करते हुए निर्माण करने की जाती है। इसके साथ-साथ अधीशासी अधिवक्ता, लशिपुर वुल्ट, लोनिफेक्ट्री, लशिपुर के कार्यालय शाखा सं: 5420/2 एम-एलशौकू/2014-15 दिनांक 15.07.2014 द्वारा चेयर-3 (कार्य) की निर्माण-शीर्षक दरों शौकी 22.07.2014 से लापरवाही जानकारी तथा यह निर्देश दिये जाते है कि पूर्व में नाड़ियाँ पर मिले अनुबंधों/कार्यालयों/आवेदनों का काठाक अनुरोध नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संस्करण- चेयर-1(ब), चेयर-2 एवं चेयर-3 की पुनरीक्षित दर अनुरोधी (12 पेज)

(शौकी श्रीपाल रवि) अधीशासी अधिवक्ता
शौकी मंडल, लोनिफेक्ट्री, शौकी

(कमान: पेज-2 पर)
पत्र सं: --- /48एम०-ह्० वृत्त/14
dिनांक: ---

प्रतिलिपि निर्मलिपि को पुनरीक्षित दरों की एक प्रति (9 पृष्ठ) सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1. सचिव, उो99 शासन, लो०निशिक्षा, लखनऊ।
2. विषेश सचिव, लो०निशिक्षा, अनुमन-2, उो99 शासन (विकास भवन) लखनऊ।
3. निदेशक राज्य मुल्यांकन एवं रचना प्रमाण, योजना भवन, लखनऊ।
4. उप निदेशक, उो99 राज्य मण्डल विश्वविद्यालय, मण्डल भवन, लखनऊ।
5. धर्म अभियंता (विकारा) एवं विभाग, उो99, लो०निशिक्षा, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता (प्रारंभ/परियोजना एवं नियोजन) / (ग्रामीण सड़क), उो99 लो०निशिक्षा लखनऊ।
7. प्रबंधक निदेशक, उो99 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
8. प्रबंधक निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
9. मुख्य अभियंता (सेतु), कार्यालय मुख्य अभियंता, लो०निशिक्षा, लखनऊ।
10. मुख्य अभियंता (भवन), कार्यालय मुख्य अभियंता, लो०निशिक्षा, लखनऊ।
11. मुख्य अभियंता (प्रोएचिजीएसडॉ), कार्यालय मुख्य अभियंता, लो०निशिक्षा, लखनऊ।
12. मुख्य कार्य पालक अधिकारी, उो99 ग्रामीण मार्ग अभिक्रिया (माना संस्थान), नू, दैरी रोड, लखनऊ।
13. महालेखकार, उो99, इलाहाबाद।
14. मुख्य प्रबंधक परिषद, सम्पर्की मंडळ, उो99 शासन, लखनऊ।
15. मुख्य अभियंता, झौंटी क्षेत्र, लो०निशिक्षा, झौंटी।
16. आशीर्वाद अभियंता, नियोजन/यातायात/अभिक्रिया सेट, कार्यालय मुख्य अभियंता, लो०निशिक्षा, लखनऊ।
17. सचिव, झौंटी विकास प्राधिकरण, झौंटी।
18. आशीर्वाद अभियंता, झौंटी-वृत्त, लो०निशिक्षा, झौंटी/ इलाहाबाद वृत्त लो०निशिक्षा, इलाहाबाद/ बंदी वृत्त लो०निशिक्षा, बंदी/लखनऊ वृत्त लो०निशिक्षा, लखनऊ/ इस्तावा/ कानपुर वृत्त लो०निशिक्षा, कानपुर/ आगरा वृत्त लो०निशिक्षा, आगरा/उो99, सिंचाई विभाग, बंदी भवन, झौंटी।
19. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड/निर्माण खंड-1.2 (उो99), 3 (निर्माण खंड/भवन विभा)/निर्माण खंड-1 (उो99), 3 लो०निशिक्षा, झौंटी/सततराघ, उरुई।
20. उप परियोजना प्रबंधक, सेतु निगम इकाई, उो99 राज्य सेतु निगम लिमिटेड/राजकीय निर्माण इकाई, उो99 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, झौंटी।
21. अधिशासी अभियंता (प्रान्तीय खंड/निर्माण खंड-1.2 (उो99), 3 लो०निशिक्षा, झौंटी/सततराघ, उरुई।

संलग्न: -- उपरोक्तानुसार

karavalav evar 2307 mat+lal new

letter2.pdf